



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42919

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 6951/2026

सतनाम सिंह उर्फ मणि सिंह

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिपक्षी

आवेदकों के अधिवक्ता : अंकित शुक्ला, राजीव रतन शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि हालांकि एफ.आई.आर. में और साथ ही धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए उसके बयानों में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी के झूठे बहाने से आवेदक ने कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, लेकिन उसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पीड़िता लगभग 33 वर्ष की वयस्क महिला है। अभियोजन पक्ष के पूरे बयान से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता का आवेदक के साथ संबंध था और उनके बीच जो भी यौन संबंध बने, वे आपसी सहमति से थे, इस प्रकार बी.एन.एस. की धारा 69 के सभी तत्व इसमें शामिल हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे एक-दूसरे के प्रति आकर्षित थे क्योंकि वे लगभग सात वर्षों से लंबे समय से संबंध में थे और इस संबंध में पीड़िता द्वारा कोई पूर्व शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त मंशा से झूठे और निराधार आरोपों में फंसाया गया है। आवेदक के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष कई अन्य दलीलें भी प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन में तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे वह यह भी प्रस्तुत करता है कि आवेदक 06.01.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बी.एन.एस. की धारा 69 के तत्व इस मामले में लागू नहीं होते हैं।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक सतनाम सिंह उर्फ मणि सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 04/2026, धारा 69, 115(2), 352, 351(3) के तहत, थाना- नूरपुर, जिला- बिजनौर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका भरने और समान राशि के दो स्थानीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

25 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।